

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उप खण्ड दण्डनायक अदरू

उनवानी प्रकरण

..... आगकंड परिवारी बनाम साफु सरकारी

किस्म मुकदमा 136 LR Act नं० 6/2019 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इन्डियियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/5/19	<p>आपों उदा आयोग का आचरण द्वारा 136 L.R Act के तहत प्रेषा किया किस्म कचन किमागण कि ग्राम कचारे की लागू करी संघत 2071 से 2074 बचाला संख्या 1 में सप.नं. 9 संख्या 3.17 है 0 मीम सिपाफचक सचला दफे है, व सप.नं 10 संख्या 0.18 है 0 मीम सचाला संख्या 503 सचले दार उप निडेखाक उधेग विभाग कोरा बिना अमाल सयेन कम्पनी कण्ड छेभार कम्पनी साकभ्रा उदा नेकी-पट गैर सचले दार दफे है। 0 संखि गभे से सप.नं. 9 के सचान पर सप.नं. 10 अंकित है। कन सप.नं सही कने की हसा केर काथ मे लागू के व नभे की नके संभण है। अत इकम्ती किमे लागे के अडेखा कर साके। अकख दफे बकिबरर किमा लागन रिपोर्ट तहखीक दार अरक से ली जाके। काथ तहखीक दार द्वारा रिपोर्ट सिया कर कचन किमा गण डि रिपोर्ट प्रचवानी हलका सपं सु. अमिडेस्य विरीसक व कांकाक वेकाड अणुकार काम कचारे से सप.नं. 9 के</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम नं.
की तारीख में

परापूर्वी हक्क कचई को खूना गया
उपरोक्त किसानों का किसानों का
गाम कचरे की सफाई संस्था 1 वर्ष
3-17-20 को भूक्रे सेक्टर के अंतर्गत
संस्था सं. 513-29-नं. 9 सफाई 3-17-20
भूक्रे सिविल चकुरा दफ्ते है। क. ख. नं. 10
संस्था 0-18 है। भूक्रे सेक्टर के अंतर्गत
उद्योग विभाग कोटा की अंतर्गत सेक्टर
संस्था सं. 513-29-नं. 9 सफाई 3-17-20
गाम कचरे में सं. नं. 9 के सफाई पर
10 अंतर्गत है।

काला - यापदिल में कचरे का
संयोग पर स्वीकार योग्य है। कचरे का
संयोग पर स्वीकार किया जाता है। वल्लभ
अंतर्गत को अंतर्गत दिये जाते हैं, कि अंतर्गत
अंतर्गत गाम कचरे में सं. नं. 9 के सफाई
पर 10 सं. 10 के सफाई पर 9 संस्था सं.
में अंतर्गत अंतर्गत करे।

मिलिये डाक डिग्रेड 29/5/19
को भेरे डाक डिग्रेड 29/5/19
परापूर्वी हक्क कचरे संस्था सं.
अंतर्गत दिये जाते हैं।

परापूर्वी हक्क कचरे
अंतर्गत दिये जाते हैं।